संख्या–1132/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ; दिनॉक: 20 मई, 2020**

विषय–कोविड–19 के दृष्टिगत प्रदेश के जनपदों/नगर निकायों को रेड/ऑरेन्ज/ग्रीन जोन में वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–924/2020/सीएक्स–3 दिनांक 18 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–डी0एम0–1(ए) दिनांक 17 मई, 2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लाकडाउन दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक के लिए दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– सूच्य है कि सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–Z28015/2020-EMR(Pt) दिनॉक–17 मई, 2020 के द्वारा लाकडाउन 4.0 के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा राज्यों को, जनपदों/नगर निकायों को रेड/आरेंज/ग्रीन जोन में वर्गीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार के अनुसार 6 मानकों के अनुसार यह वर्गीकरण किया जाना है, जो निम्नवत् हैः–

S.NO.	Parameter	Critical	Desirable
1	Total Active Cases	>200	Zero cases or no reported case in last 21 days
2	Active Cases per Lakh population	>15	
3	Doubling rate (calculated over 7 days period)	<14 days	>28 days
4	Case Fatality rate	>6%	<1%
5	Testing Ratio (No of Tests per Lakh population)	<65	>200
6	Sample positivity rate (confirmation rate)	>6%	<2%

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मानकों के दृष्टिगत तथा संक्रमण की स्थिति का आंकलन करने के पश्चात सम्यक विचारोपरान्त जनपद–आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद के नगरीय क्षेत्र को रेड जोन में वर्गीकृत किया जाता है।

Pankaj/GO/COME-3

4— जिन जनपदों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई भी पुष्ट केस नहीं आया हो, वे जनपद स्वयमेव ग्रीन जोन में वर्गीकृत हो जायेंगे। जो जनपद रेड अथवा ग्रीन जोन में उक्तानुसार वर्गीकृत नही होते हैं, उन्हें ओरेन्ज जोन में वर्गीकृत माना जायेगा।

5— रेड जोन में वर्गीकृत जनपदों के जिलाधिकारी संक्रमण को नियंत्रित करने के दृष्टिगत स्वविवेकानुसार अतिरिक्त कदम उठाने हेतु अधिकृत होंगे।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

20.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या—1132 (1)/पांच—5—2020,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक संचारी रोग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

20/5/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव